न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 790–तीन/09 विरूद्ध आदेश, दिनाक 16–6–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 118/निगरानी/06–07.

रामायण सिंह तनय स्व0 चन्द्रिका सिंह
निवासी ग्राम बिहरा, तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

रामसुमिरन सिंह तनय स्व0 चन्द्रिका सिंह
निवासी ग्राम बिहरा, तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री आर0 पी0 पालीवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदंक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10.2.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 790–तीन/09 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा के प्रकरण कमांक 118/निगरानी/06–07 में पारित आदेश दिनांक 16–6–2009 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2. प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि निगराकार रामायण सिंह द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष दिनांक 05.07.2000 को भूमि खसरा कमांक 130/1 रकबा 0.35 ए., 130/2 रकबा 0.17 ए., 131/1 रकबा 3.48 ए. एवं 131/2क रकबा 2.49 ए. कुल किता 4 कुल रकबा 6.49

एकड़ के नक्शा तरमीम करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार नायब तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालयीन प्रकरण कमांक 09/अ–74/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2005 से बटवारा प्रकरण कमांक 16/अ–27/94–95 में पारित बटवारा आदेश दिनांक 31.01.95 के अनुकम में नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया गया। नायब तहसीलदार के उक्त नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 03.06.2005 के विरूद्ध गैरनिगराकार द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपर कलेक्टर द्वारा अपने प्रकरण कमांक 744/2004–2005 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2005 से नायब तहसीलदार का नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 03.06.2005 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 16.08.05 के अनुकम में नायब तहसीलदार द्वारा अपने प्रकरण कमांक 240/अ–74/04–05 में सिविल न्यायालय द्वारा बटवारा पुल्ली दिनांक 07.12.94 को स्वीकृत करने संबंधी आदेश दिनांक 29.11.04 के अनुकम में (सिविल न्यायालय में प्रकरण गैरनिगराकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था) पूर्व बटवारा आदेश दिनांक 31.01.1995 को सही पाते हुए मुताबिक बटवारा नक्शा तरमीम करने का आदेश दिनांक 09.09.05 से जारी किया गया। नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध गैरनिगराकार द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में पुनः निगरानी प्रस्तुत की गयी, जहॉ प्रकरण कमांक 672/अ–74/04–05 में पारित आदेश दिनांक 20.11.06 से निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की गयी कि हल्का पटवारी के प्रस्ताव प्रतिवेदन दिनांक 20.04.2001 के अनुसार नक्शा तरमीम किया जावे। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश दिनांक 20.11.06 के विरूद्ध निगराकार द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जहां पर प्रकरण कमांक 118/निग./06–07 में पारित आदेश दिनांक 16.06.09 से अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 20.11.06 को यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त की गयी। अपर आयुक्त के इसी आदेश दिनांक 16.06.09 से व्यथित होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3/ उपरोक्त तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क समक्ष में सुने गये एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्को पर भी विचार किया

गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से कहा गया कि दोनों पक्ष आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनके मध्य दिनांक 7.12.94 को पारिवारिक विभाजन हुआ था। इसके बाद आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में पारिवारिक विभाजन पत्र के आधार पर नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर प्रकरण कमांक 9/अ–74/99–2000 दायर किया गया। इसी दौरान तहसील न्यायालय में प्रकरण के प्रचलित रहते गैरनिगराकार द्वारा सिविल न्यायालय में विवादित बटवारे की भूमि के संबंध में स्वत्व व स्वामित्व के निर्धारण हेतु सिविल वाद प्रस्तुत कर दिया गया जिसके आधार पर व्यवहारवाद कमांक 37 ए/2002 दायर होकर पारित निर्णय दिनांक 29.11.2004 से वादी का वाद निरस्त किया जाकर बटवारा दिनांक 7.12.94 को सही माना गया और इसी बटवारा दिनांक 7.12.94 के आधार पर माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 03.06.2005 को नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया गया। गैरनिगराकार द्वारा नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी जो स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित की गयी कि तहसील न्यायालय वास्तविक बटवारा पत्र के आधार पर निर्णय पारित करें। तहसील न्यायालय द्वारा पुनः सिविल न्यायालय के आदेश के आधार पर दिनांक 9.9.05 को नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध पुनः अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी जिसे अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.11.06 से पुनः तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। इसके विरूद्ध निगराकार द्वारा आयुक्त रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण कमांक 118/निग./06–07 में पारित आदेश दिनांक 16.06.09 से निगरानी निरस्त की गयी जिसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है। निगराकार अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह बताया गया कि निगराकार को विवादित भूमि पारिवारिक बटवारा दिनांक 7.12.94 के आधार पर प्राप्त हुई है जिसके संबंध में गैरनिगराकार द्वारा सिविल वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण कमांक 37ए/2002 रामसुमिरन विरूद्ध रामायण व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2004 से निरस्त किया जाकर निगराकार एवं गैरनिगराकार के मध्य हुए पारिवारिक विभाजन पत्र दिनांक 7.12.94 को मान्य किया गया तथा तहसील न्यायालय द्वारा उक्त सिविल

न्यायालय के आदेश के आधार पर ही नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गयी है जो उचित एवं सही है उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व न्यायालय का दायित्व सिविल न्यायालय के आदेश का पालन करना है जो तहसील न्यायालय द्वारा किया गया है किन्तु उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा सिविल न्यायालय के डिक्री के विरूद्ध आदेश पारित किए गये है जो निरस्त किए जाने योग्य है। सिविल न्यायालय के आदेश के आधार पर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 20.11.06 एवं अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 16.06.09 विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने एवं तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 09.09.05 जो सिविल न्यायालय की डिक्री के पालन में जारी किया गया है को स्थिर रखने का निवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तु किए जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है।

4/ अनावेदक गैरनिगराकार द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि उभयपक्ष आपस में सगे भाई हैं हमारे अन्य चार भाई और भी हैं जिनके मध्य विभाजन दिनांक 7.12.94 को हुआ था जिस विभाजन पर से विभाजन पुल्ली भी बनाई गयी थी लेकिन इस विभाजन पुल्ली में निगराकार द्वारा कूटरचना करते हुए वादग्रस्त भूमियों में फर्जी तौर से दिशा का उल्लेख करके उसके आधार पर विचारण न्यायालय में नक्शा तरमीम का आवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक ने मूल खसरा क्रमांक 130 व 131 के उपखण्ड क्रमांक 130/1,130/2क, 131/1, 131/2क एवं 130/2 व 130/2ख, 131/2 तथा 131/2ख का नक्शा तरमीम कराये जाने हेतु आवेदन दिया, जिस पर से प्रकरण क्रमांक 9/अ–74/00–01 में पारित आदेश दिनांक 3.6.05 से नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया गया। उक्त अदेश के विरूद्ध उभयपक्ष द्वारा विभिन्न राजस्व न्यायालयों में निगरानी प्रस्तुत की गयी जिनका उल्लेख आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं संक्षिप्त सार में किया जा चुका है इस कारण यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं हैं । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी कहा गया कि नक्शा तरमीम का तात्पर्य राजस्व नक्शे में उपखण्डों के अनुसार भूखण्डों को विभक्त करना होता है, यानी जिस किसी व्यक्ति का उस राजस्व खसरे में जितने अंश पर वास्तविक आधिपत्य होगा और वह जितने अंश का भूमि स्वामी होगा उसके आधिपत्य के अंश

के भू–भाग को राजस्व नक्शे में अलग दर्शित करना होता है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि पहले यह देखा जाता है कि नक्शे में किसी भी पक्ष का किस भू–भाग पर स्वत्व व आधिपत्य प्रकट हो रहा है। तब स्वत्व के अर्जन के संबंध में उन दस्तावेजों को और वास्तविक आधिपत्य को देखते हुए नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जाती है। यह भी कहा कि यदि स्वत्व अर्जन का स्त्रोत प्रकट नहीं होता, तब विचारण न्यायालय पक्षकारों के वास्तविक आधिपत्य का पता लगाएगी और जिस भू–भाग पर जिस पक्ष का जहां वास्तविक कब्जा व आधिपत्य पाया जायेगा उसी भू–भाग पर राजस्व नक्शे में नक्शा तरमीम कर दिया जावेगा। गैरनिगराकार द्वारा मुख्य रूप से इसी बात पर जोर दिया गया कि वास्तविक कब्जे के विपरीत नक्शा तरमीम किया गया है, जबकि कब्जे के अनुसार नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जानी चाहिए थी जो नहीं की गयी । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे, जिनका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं एवं पारित आदेशों में है जिसे यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है। अंत में उनके द्वारा पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 20.4.2001 के आधार पर नक्शा तरमीम करने का आदेश दिए जाने का निवेदन करते हुए अपर आयुक्त के आदेश को यथावत रखने एवं निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि निगराकार रामायण सिंह द्वारा दिनांक 5.7.2000 को नायब तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र विवादित भूमियों के बटवारा दिनांक 7.12.94 के आधार पर खसरे में अंकित स्थिति के अनुसार मौके पर नक्शा तरमीम के संबंध में प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर तहसील न्यायालय में प्रकरण कमांक 9/अ–74/99–2000 कायम किया जाकर नक्शा तरमीम की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। नक्शा तरमीम की कार्यवाही के प्रचलित रहते ही गैरनिगराकार रामसुमिरन सिंह द्वारा चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश रीवा के समक्ष बटवारा पुल्ली दिनांक 7.12.94 के संबंध में विवादित भूमियों के बाबत स्वत्व व स्वामित्व के हेतु एक वाद प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण कमांक 37ए/2002 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 29.11.04 से समस्त

भाइयों के मध्य हुए सहमति से विभाजन दिनांक 7.12.94 की पुष्टि करते हुए गैरनिगराकार का उक्त वाद कमांक 37ए/2002 निरस्त कर दिया गया। सिविल न्यायालय में उक्त वाद के प्रचलित रहते तहसील न्यायालय द्वारा नक्शा तरमीम की कार्यवाही स्थगित रखी गई। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में सिविल न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29.11.04 के अनुक्रम में पूर्व में हुए बटवारा दिनांक 7.12.94 जिसकी पुष्टि सिविल न्यायालय द्वारा की गयी है, के आधार पर विचारण न्यायालय में लंबित प्रकरण कमांक 9/अ–74/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 3.6.05 से नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध गैरनिगराकार द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्र0क0 444/अ–74/04–05 में पारित आदेश दिनांक 16.8.05 से निगरानी स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की गयी कि मौके पर सही दिशा एवं आधिपत्य को देखते हुए विधि अनुसार आदेश पारित किया जावे। अपर कलेक्टर के उक्त प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचना उपरांत सिविल न्यायालय के द्वारा पारित बटवारा दिनांक 7.12.94 के पुष्टि आदेश दिनांक 29.11.04 एवं 5.1.04 के अनुसरण में पूर्व के प्रकरण कमांक 16/अ–27/94–95 में पारित बटवारा आदेश दिनांक 31.1.95 के अनुसरण में बटवारा आदेश को सही पाते हुए अपने प्रकरण कमांक 240/अ–74/04–05 में पारित आदेश दिनांक 09.09.05 से नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय के इस आदेश दिनांक 09.09.05 को अपर कलेक्टर द्वारा पुनः अपने आदेश दिनांक 20.11.06 से निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि पूर्व आदेश दिनांक 16.8.05 के अनुसरण में पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन प्रस्ताव दिनांक 20.4.01 के अनुसार नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जावे। अपर कलेक्टर के इस आदेश दिनांक 20.11.06 के विरूद्ध निगराकार द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी जहां प्रकरण कमांक 118/निग/06–07 में पारित आदेश दिनांक 16.6.09 से यह अंकित करते हुए निरस्त की जाकर अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की गयी कि "यह महत्वपूर्ण है कि नक्शा तरमीम की कार्यवाही मौके पर कब्जे अनुसार की जाती है एवं बटांकन भी तदनुसार ही होना चाहिए। यह आदेश बटवारे का न होकर नक्शा तरमीम का है। "तथा विचारण न्यायालय को पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 20.4.01 के अनुसार नक्शा तरमीम के आदेश दिए गये।

जहां तक कब्जे के आधार पर नक्शा तरमीम की बात जो दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने आदेशों में कही गयी है तो इस संबंध में (अमर सिंह वि. अहिबरन 1992 रा.नि. 4) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि भू–खण्डों की उत्पादकता तथा समीपस्थता पर बटवारे में विचार किया जावेगा किसी पक्षकार का किसी भू–खण्ड पर कब्जा होना बटवारे में केवल आधार नहीं माना जा सकता''। इसी प्रकार (लालराम वि. नारायण, 2007 रा.नि. 359 रा.मं.) में – सहमति पर आधारित बंटवारा अपील में चुनौती योग्य नहीं–में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि बटवारे का आदेश उभयपक्ष की सहमति के अधीन था ऐसी स्थिति में इस आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती''। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पूर्व बटवारा पुल्ली दिनांक 7.12.94 जिसकी पुष्टि सिविल न्यायालय द्वारा भी की गयी है के आधार पर नक्शा तरमीम की कार्यवाही विचारण न्यायालय द्वारा की गयी है जो उचित है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का यह कहना है कि यह प्रकरण बटवारे का न होकर नक्शा तरमीम का है, तो यहां यह कहना उचित होगा कि बटवारे में प्राप्त भू–खण्ड के आधार पर ही नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जावेगी और यही विधिक प्रकिया भी है। बटवारे में प्राप्त भूमि के विपरीत खसरे में अंकित तथ्यों से हट कर कब्जे के आधार पर नक्शा तरमीम की कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस प्रकार अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि अनुकूल नहीं कहे जा सकते। इसके साथ ही इस प्रकरण में यह बिन्दु भी विचारणीय है कि सहमति से हुए बटवारा दिनांक 7.12.94 को गैरनिगराकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है एवं उनकी इस स्वीकारोक्ति को सिविल न्यायालय द्वारा भी उनकी ओर से प्रस्तुत सिविल वाद कमांक 37ए/2001–2002 में पारित आदेश दिनांक 29.11.04 से मान्य किया जाकर गैरनिगराकार के वाद को निरस्त किया गया है। इसके साथ ही सिविल न्यायालय के प्रकरण कमांक 37ए/2002 में पारित आदेश के विरूद्ध गैरनिगराकार द्वारा मान. उच्च न्यायालय में रिट याचिका डब्लू.पी. 259/04 दायर की थी वह भी आदेश दिनांक 4.2. 2004 से डिसमिस कर दी गयी। इसके अतिरिक्त गैरनिगराकार द्वारा वर्ष 1994 से आज दिनांक तक किसी भी राजस्व न्यायालय में बटवारा दिनांक 7.12.94 को चुनौती नहीं दी गयी। इस संबंध में (सेतराम वि. धौवा 1986 रा.नि. 274 रा.मं.) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि सिविल न्यायालय की डिक्री के अधीन भू–राजस्व संहिता की धारा 178 के

अंतर्गत विभाजन हो गया था व आधिपत्य भी प्रदान कर दिया गया था, सिविल कोर्ट की डिक्री के आधार पर तहसीलदार के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं हुई थी, न पुनरीक्षण हुआ था, अतः तहसीलदार द्वारा किया गया बटवारा अंतिम माना गया। इस संबंध में (रघुनाथ बनाम दिलीप, 1970 रा.नि. 596) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि निजी ठहराव या व्यवस्था के अधीन आवेदन के पूर्व घरू (प्रायवेट) बटवारा होकर अपने–अपने हिस्सों पर काबिंज हैं, तब आवेदक बराबरी का हिस्सा विभाजन की कार्यवाही करके नहीं मांग सकता''। इसी प्रकार (धन सिंह बनाम भंवर जी 1970 रा.नि.424) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि ''सिविल न्यायालय के द्वारा पारित विभाजन की डिक्री के अधीन तहसील न्यायालय ने वास्तविक विभाजन किया था। ऐसी स्थिति में ऐसे भाग पर किसी व्यक्ति का आधिपत्य जो कि उसके हिस्से में नहीं आया था अप्राधिकृत माना जावेगा''। ऐसी स्थिति में ऐसे अंतिमता प्राप्त बटवारे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा किया गया नक्शा तरमीम का आदेश विधि अनुकूल ही माना जावेगा।इसके अतिरिक्त गैरनिगराकार का यह कहना कि सहमति से हुए बटवारा दिनांक 7.12.94 पर सहमति के हस्ताक्षर होने के बाद विवादित भूमि के संबंध में बटवारा पुल्ली में दिशाओं का उल्लेख निगराकार द्वारा बाद में कूट रचना कर किया गया है, तो इस संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि जब सिविल न्यायालय में उक्त बटवारा पुल्ली के संबंध में वाद गैरनिगराकार द्वारा ही दायर किया गया था तब उसे सिविल न्यायालय के समक्ष इस बिन्दु को उठाना चाहिए था, जहां निगराकार ने इस तथ्य को नहीं उठाया और न ही सिविल न्यायालय तथा इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया जिससे यह सिद्ध होता कि वास्तविक रूप से बटवारा पुल्ली पर हस्ताक्षर के बाद दिशाओं का उल्लेख किया गया है और गैरनिगराकार के इस आक्षेपित बिन्दु के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी अपने आदेशों में कोई विवेचना नहीं की गयी है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर इस बिन्दु पर विचार किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में (चन्द्रकलाबाई बनाम जगदीश सिंह, सुप्रीमकोर्ट पैरा 6:1975 ज.ला ज.440) में यह प्रतिपादित किया गया है कि ''तथ्यात्मक प्रश्न किसी भी स्टेज पर ग्रहण नहीं किया जावेगा और जो तथ्य जवाब दावा में प्रकट न किया हो उसके बारे में साक्ष्य को नहीं देखा जावेगा''। इसी प्रकार (1977 ज.ला ज. 207, गोपीनाथ बनाम

गिरधरदास पैरा 7 हा.) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "वाद पत्र में जिस तथ्य की बुनियाद नहीं रखी गयी उसे अपील में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती"। इस प्रकार गैरनिगराकार का यह कहना कि कूट रचना कर बटवारा पुल्ली में हस्ताक्षर के बाद दिशाओं का उल्लेख किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है।

6/ अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक20.11.2006 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 16.06.2009 विधि विरूद्ध एवं सारवान न होने से निरस्त किये जाते हैं तथा नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 09.09.2005 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस हो। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो।

10.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर